विभिन्न फसलों के बीज प्रमाणीकरण हेतु कुछ तकनीकी जानकारी

फसल	बीज दर किलो / हैक्टेयर	पृथक्करण दूरी मीटर में		निरीक्षण संख्या	निरीक्षण के समय फसल की अवस्था
		आधार	प्रमाणित		
बाजरा संकर	संकुल: 4 नर: 1.5 मादा: 3.0	400–1000	200	4	पूर्व पुष्पावस्था से कटाई तक
ज्वार संकर	संकुल: 15 नर: 3.5 मादा: 7.5	200–400	100–400	4	पूर्व पुष्पावस्था से कटाई तक
मक्का संकर	संकुल: 20–25 नर: 7 मादा: 14	400–700	200–300	4	पूर्व पुष्पावस्था से भुट्टों की छंटाई तक
धान	20–25	3	3	2	पूर्व पुष्पावस्था से कटाई तक
कपास	देशी 12–15 अमेरिकन 16–20	50	30	2	पुष्पावस्था से कटाई तक
ग्वार	15–20	10	5	2	पूर्व पुष्पावस्था एवं फूल–फली अवस्था में
अरहर	15–20	250	100	2	पुष्पावस्था से कटाई तक
मूंग	12–15	10	5	2	पूर्व पुष्पावस्था एवं फूल–फली अवस्था में
उड़द	12–15	10	5	2	पूर्व पुष्पावस्था एवं फूल–फली अवस्था में
सरसों	3.0–5.0	200 / 100	50 / 50	3	पूर्व पुष्पावस्था, फूल–फली अवस्था में व फसल पकाई पर
गेहूं	100	3	3	2	बालियां निकलने से फसल कटाई तक
जौं	75–87.5	3	3	2	बालियां निकलने से फसल कटाई तक
चना	45–80	10	5	2	पुष्पावस्था से फसल कटाई तक

प्रमाणित बीज की यह पहचान
भरपूर फसल, खुशहाल किसान

TAG No.

KIND _____

Variety _____

Lot No. _____

The Haryana State Seed Certification Agency, Bay 11-12, Sector-14, PANCHKULA.

"Use of the seed after expiry of the validity period by any person is entirely at his risk and the holder of the certificate shall not be responsible for any damage to the buyer of seed. No one should purchase the seed if seal or the Certification Tag has been tampered with".

Name and full address of the certified seed producer

_____

Certified Seed

Class of seed _____

Certificate No. _____

Date of issue of certificate _____

Date of test _____

Certificate valid upto _____ (Provided seed is stored under cool and dry environment)

Validity of certificate further extended upto _____

आधार टैग

TAG No.

KIND _____

Variety _____

Lot No. _____

The Haryana State Seed Certification Agency, Bay 11-12, Sector-14, PANCHKULA.

"Use of the seed after expiry of the validity period by any person is entirely at his risk and the holder of the certificate shall not be responsible for any damage to the buyer of seed. No one should purchase the seed if seal or the Certification Tag has been tampered with".

Name and full address of the certified seed producer

_____

Certified Seed

Class of seed _____

Certificate No. _____

Date of issue of certificate _____

Date of test _____

Certificate valid upto _____ (Provided seed is stored under cool and dry environment)

Validity of certificate further extended upto _____

प्रमाणित टैग

REGIONAL OFFICES

Chief Seed Certification Officer,
Hr. Seed, Sector-14P
(Near BSNL Colony),Hisar.
Ph. 01662-277063
Email : csco172@gmail.com

Chief Seed Certification Officer,
H.No. 27, Indira Nagar, Mal Road
Karnal-132 001
Ph. : 0184-2232814,
Email : cscokarnal@gmail.com

Chief Seed Certification Officer,
H.No. 267, Gali No.1,Khairpur
Colony, Hisar Road, Sirsa-125055
Ph.:01666-243540,
Email : csco267@gmail.com

Seed Testing Laboratory-cum-DCSCO,
Haryana State Seed Certification Agency,
Opp. Jat College, Near Commissioner
Residence Rohtak. - 124001
Ph. : 9416471942
Email : dcscorohtak@gmail.com

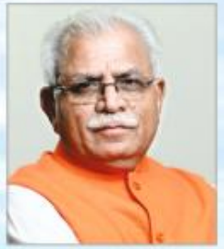

श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री हरियाणा

श्री जे पी दलाल
मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

Haryana State Seed Certification Agency
हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
Bay 11-12, Sector 14, Panchkula.
बेज 11 - 12, सैक्टर 14, पंचकुला, हरियाणा
Phone : 0172-2587573, 2574134
E-mail : hsscapkl@gmail.com, hssca@hry.nic.in

अंकुरण एवं शुद्धता के मापदण्ड प्रतिशत

फसल	बीज के प्रकार	शुद्ध बीज % (न्यूनतम)	दूसरी फसल के बीज प्रति किलो (अधि.)	अन्य पहचान योग्य किस्म के बीज प्रति किलो (अधि.)	कुल खरपतवार प्रति किलो (अधि.)	आपत्तिजनक खरपतवार प्रति किलो (अधि.)	इनर्ट मैटर % (अधि.)	नमी (अधि.) सामान्य पैकिंग %	अंकुरण (न्यूनतम) %
बाजरा❑	आ.	98	10	–	10	–	2	12	75
	प्र.	98	20	–	20	–	2	12	75
ज्वार❑	आ.	98	05	10	05	–	2	12	75
	प्र.	98	10	20♦	10	–	2	12	75
मक्का	आ.	98	05	05›	00	–	2	12	75
	प्र.	98	10	10	00	–	2	12	80 90*
धान◦	आ.	98	10	10	10	02	2	13	80
	प्र.	98	20	20	20	05	2	13	80
कपास	आ.	98	05	–	05	–	2	10	65
	प्र.	98	10	–	10	–	2	10	65
ग्वार	आ.	98	10	10	00	–	2	09	70
	प्र.	98	20	20	00	–	2	09	70
अरहर	आ.	98	05	10	05	–	2	09	75
	प्र.	98	10	20	10	–	2	09	75
मूंग	आ.	98	05	10	05	–	2	09	75
	प्र.	98	10	20	10	–	2	09	75
उड़द	आ.	98	05	10	05	–	2	09	75
	प्र.	98	10	20	10	–	2	09	75
सरसों	आ.	97	10	0.10	10	05	3	08	85
	प्र.	97	20	0.50	20	10	3	08	85
गेहूं	आ.	98	10	–	10	02	2	12	85
	प्र.	98	20	–	20	05	2	12	85
जौ	आ.	98	10	10	10	–	2	12	85
	प्र.	98	20	20	20	–	2	12	85
चना	आ.	98	–	5	00	–	2	9	85
	प्र.	98	5	10	00	–	2	9	85

• रोगग्रस्त बीज के मानदण्ड भी निर्धारित है।
❑ छिलका रहित बीज 2 प्रतिशत अधिकतम (प्र.व.आ.)
♦ संकुल किस्म के लिए 10
⊛ मॉडिफाइड विधि में 5 अधि. अधिकतम
❖ संकर किस्म व इसके आधार बीज के लिये जी.ओ.टी.अनिवार्य आनुवांशिक शुद्धता आधार 95 प्रतिशत प्रमाणित 85 प्रतिशत
❍ संकुल के लिए 20
✿ संकुल के लिए 90

प्रमाणित बीज उत्पादन सम्बन्धी मार्गदर्शन

बीज क्या है?

बीज, दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग है, जो अपने समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है।

प्रमाणित बीज उत्पादन क्या है?

बीज खेती में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण आदान है, जिसकी गुणवत्ता पर खेती की सम्पूर्ण पैदावार निर्भर करती है। अतः बीज की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि बीज उत्पादन तकनीक में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए व उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाए जिनसे बीज की गुणवत्ता सीधी प्रभावित होती है।

अतः प्रमाणित बीज उत्पादन प्रक्रिया एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग–रहित व अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम नीति

बीज निगम एवं व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता के आधार व प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्यक्रम निगम व व्यक्तिगत उत्पादकों के फार्मों पर व निगम के अंशधारी/पंजीकृत बीज उत्पादकों के खेतों पर लिया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम बीज उत्पादक से पंजीकरण शुल्क वसूल कर उसका पंजीयन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके पश्चात् बीज उत्पादन हेतु प्रयोग में आने वाले बीज (प्रजनक अथवा आधार) बीज उत्पादकों को निगम द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। समय–समय पर राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बीज अधिनियम के तहत निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप क्षेत्र/फसल का निरीक्षण फसल से पैदा होने वाले आधार/प्रमाणित बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

फसल पकने पर उसकी कटाई कर, दाना निकाल कर बोरियों में भरकर विधायन केन्द्र पर पँहुचाया जाता है। यहां बीज की ग्रेडिंग, मशीनों की सहायता से की जाती है, जिससे हल्का, छोटा बीज एवं अन्य पदार्थ जैसे मिट्टी, छोटे पत्थर, पौधे के सूखे टुकड़े आदि अलग किये जाते हैं तथा लगभग समान आकार के बीज थैलों व कट्टों में पैक किये जाते हैं। पैकिंग से पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित दवाई से बीज उपचार किया जाता है। प्रमाणीकरण से पूर्व बीज के नमूने की जांच बीज परीक्षण प्रयोगशाला से कराई जाती है व निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप मानक पाये जाने पर ही प्रमाणीकरण संस्था का टैग कट्टों पर लगाया जाता है।

बीज उत्पादन कैसे लें?

कोई भी कृषक जिसकी स्वयं की कृषि योग्य भूमि है व सिंचाई का निश्चित साधन है, निगम अथवा व्यक्तिगत उत्पादक के बीज उत्पादन कार्यक्रम में अपने क्षेत्र का ब्योरा मेरी फसल मेरा ब्योरा पर दर्ज करके उत्तम बीज पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकता है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने खेत पर लेने के लिए सर्वप्रथम कृषक को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिसके लिए उसे अपने क्षेत्र के उत्पादक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर, निर्धारित पंजीकरण फार्म भर कर एवं करार करके निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराना आवश्यक है। तत्पश्चात् उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनन/आधार बीज की बताई गई विधि अनुसार ही बुवाई करनी होती है, अन्य बीज का मिश्रण वर्जित है। बीज फसल उग आने के पश्चात् इसका प्रमाणीकरण संस्था प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर फसल निरीक्षण होना अनिवार्य है। ऐसा न होने की स्थिति में समीप के उत्पादक कार्यालय से सम्पर्क करें। बोये गए बीज के स्त्रोत का सत्यापन आवश्यक है। अतः थैली, टैग एवं बिल संभाल कर रखें।

प्रमाणीकरण संस्था प्रतिनिधि द्वारा बताई गई पृथक्करण दूरी सुनिश्चित करें एवं अवांछित पौधे, रोग जनित पौधे आदि निकालने सम्बन्धी सलाह का बताये अनुसार पालन करें, जिससे बीज की गुणवत्ता का निर्धारित स्तर बना रहे। फसल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही प्रमाणीकरण के योग्य मानी जाएगी। मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर फसल को क्षेत्र स्तर पर प्रमाणीकरण के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रमाणीकरण के योग्य घोषित फसल पकने पर बताये अनुसार ही काटकर, सुखाकर, दाना निकालकर, साफ बोरियों में भरकर निर्दिश्ट बीज विधायन केन्द्र पर निर्धारित तिथि से पूर्व लाएं। यहां बीज की भौतिक शुद्धता का निर्धारित स्तर बनाये रखने के लिए उक्त बीज का विधायन किया जाता है। विधायित बीज का नमूना बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है, जहां से मानक घोषित होने पर बीज को कट्टों में भरकर प्रमाणीकरण टैग लगाकर वितरण हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध करा दिया जाता है।

प्रमाणित बीज उत्पादन में ध्यान देने योग्य प्रमुख आवश्यक बातें

- बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल निगम/व्यक्तिगत संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनक/आधार बीज ही प्रयोग में लाएं व इसमें अन्य बीज का मिश्रण कदापि न होने दें।
- बोये गये बीज के खाली कट्टे, थैले, टैग, लेबिल, बिल आदि को सुरक्षित रखें व स्त्रोत सत्यापन हेतु प्रमाणीकरण संस्था, प्रतिनिधि द्वारा मांगने पर उसे प्रस्तुत करें।
- बुवाई के समय बताई गई पृथक्करण दूरी का विशेष ध्यान रखें, जिससे फसल का आनुवांशिक स्तर बना रहे।
- बुवाई के पहले ट्रैक्टर, सीड ड्रील व कटाई–गहाई के समय थ्रेसर व प्लेटफार्म को अच्छी तरह साफ कर लें। उसमें पहले से रहे अन्य फसल/किस्म के बीज, बीज फसल/बीज में मिश्रण कर सकते हैं, जिससे फसल/बीज अमानक हो सकता है।
- फसल उगने पर उसमें से समय–समय पर बताये गये अवांछित पौधे निकालते रहें।
- अधिक उत्पादन लेने हेतु समय–समय पर खाद, सिंचाई, दवा का छिड़काव आदि आवश्यकतानुसार करते रहें।
- बीज उत्पादक बीज उत्पादन कार्यक्रम स्वयं की/पैतृक/लीज पर ली गई भूमि पर ले सकता है। सबलेट किया हुआ बीज उत्पादन कार्यक्रम अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में नर–मादा बीज की बुवाई बताये गये अनुपात, विधि व दिशा निर्देशानुसार ही करें।
- खाली बारदाना को बीज भरने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर लें। अन्य फसल/किस्म के बीज फसे होने से बीज के अमानक होने की संभावना रहती है।
- प्रमाणीकरण के योग्य क्षेत्र की अनुमानित की गई उपज को अच्छी तरह साफ एवं सुखा कर निर्धारित तिथि से पूर्व विधायन केन्द्र पर पंहुचाएं।
- अधिक जानकारी के लिए निगम/प्रमाणीकरण संस्था/कृषि विभाग के अधिकारी से सम्पर्क करें।

सहभागिता प्रमाणीकरण प्रणाली (पी.जी.एस.) एक कदम जैविक खेती की ओर

जैविक खेती करने वाले एकल किसान एवं किसान समूह पी.जी.एस. भारत प्रमाणीकरण पोर्टल https://www.pgsindia-ncof.gov.in पर पंजीकरण कर अपने जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा करवा सकते हैं।